दिल्ली विकास प्राधिकरण

जी.आई.एस. एजेंसियों का चयन

दिल्ली विकास प्राधिकरण **पी.एम.–उदय** (प्रधान मंत्री अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों के जी.आई.एस. सर्वेक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित जी.आई.एस. एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है। जी.आई.एस. एजेंसी को:–

क) जी.आई.एस. सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो और पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार (या इसके स्वायत्त / सार्वजनिक उपक्रम / अधीनस्थ संगठन / स्थानीय निकाय आदि) के साथ प्रासंगिक परियोजनाओं का निष्पादन / संचालन किया हो।

ख) वैध डी.जी.पी.एस. उपकरणों के स्वामित्व का प्रमाणपत्र हो।

ग) कम से कम 25 तकनीकी रूप से कुशल सर्वेक्षक कार्यरत हों।

घ) एजेंसी दिविप्रा या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा बाधित/ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए।

जीआईएस सर्वेक्षण की दरें सम्पत्ति के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

तल क्षेत्र (निर्मित सम्पत्ति की स्थिति में)/ भूखण्ड क्षेत्र (रिक्त भूखण्ड की स्थिति में)	राशि (रू. में)
100 व.मी. से कम	800/- + जी.एस.टी.
100 व.मी. से अधिक (या समान) लेकिन 250 व.मी. से कम	1000/- + जी.एस.टी.
250 व.मी. से अधिक या बराबर	2500/- + जी.एस.टी.

डीडीए की वेबसाइट **(https://dda.org.in/tendernoticesdoes/sept2019/ScopeofWork30122019.pdf)** पर उपलब्ध कार्य के अनुसार और उपर्युक्त दरों पर काम करने के इच्छुक जी.आई.एस. एजेंसी डीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव इस विज्ञापन के प्रकाशन के दो सप्ताह के अन्दर आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दिल्ली विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, ए–ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली –110023 को भेज सकते हैं ।

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-110332 डायल करें